

अंतिम डिक्री व मुकदमें इत्बाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान


रतन सिंह बनाम गोपाल

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर -114/2024
पेश करने की दिनांक -11.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक रविन्द्र शर्मा मुद्दई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 460 रकबा 0.07, 459/1 रकबा 0.1750 का खातेदार वादी रतन सिंह पुत्र घीसा को हाल खसरा नम्बर 268/0.29, 458/0.52, 471/0.58, 473/0.64 व 459/2 रकबा 0.6650 का खातेदार किशनी पत्नी भागू सिंह हि. 1/44, गोपाल पुत्र नंगा हि. 1/11, गोमा पुत्र नंगा हि. 1/11, पांचू पुत्र नंगा हि. 1/11, पिकी पुत्री भागू सिंह हि. 1/44, मोहन पुत्र नंगा हि. 1/11, रामू पुत्री लाडूसिंह हि. 1/11, विकास पुत्र भागूसिंह हि. 1/44, विशाल सिंह पुत्र भागूसिंह हि. 1/44, सीता पुत्री लाडू सिंह हि. 1/11, हगामी पुत्री लाडूसिंह हि. 1/11, हेमा पुत्र नंगा हि. 1/11, हालू सिंह पुत्र लाडू सिंह हि. 1/11, हीरा सिंह पुत्र लाडूसिंह हि. 1/11 को घोषित किया जाता है। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। शेष खसरा नम्बर पूर्व अनुसार शामिल रहेगे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।
बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 9 माह 11 सन् 2025 को जारी की गयी।



मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
नसीराबाद (अजमेर)